रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122022-240986 CG-DL-E-12122022-240986

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5540]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944

No. 5540]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 दिसम्बर. 2022

का.आ. 5776(अ).—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाते हुए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की तारीख 8 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 6308 (अ.) में आगे संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, पैरा 3 में,-

(क) उप पैरा (1) में, सारणी 3.3 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"तालिका 3.4"

स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2025 तक)

निर्धारित	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार		
क्षमता (लीटर)	स्थायी खपत (किलोवॉट घण्टा/24 घण्टा/45°से₀)						
6	≤0.426 &> 0.387	≤0.352 &> 0.320	≤ 0.320 &>0.291	≤ 0.291 &> 0.265	≤ 0.265		
10	≤0.485 &> 0.441	≤0.441 &> 0.401	≤ 0.401 &>0.365	≤ 0.365 &> 0.332	≤ 0.332		
15	≤ 0.558 &> 0.507	≤0.507 &> 0.461	≤ 0.461 &> 0.419	≤ 0.419 &> 0.381	≤ 0.381		

8240 GI/2022 (1)

25	≤0.680 &> 0.618	≤0.618 &> 0.562	≤ 0.562 &>0.511	≤ 0.511 &> 0.465	≤ 0.465
35	≤0.777 &> 0.706	≤0.706 &> 0.642	≤ 0.642 &>0.584	≤ 0.584 &> 0.531	≤ 0.531
50	≤0.898 &> 0.816	≤0.816 &> 0.742	≤ 0.742 &>0.675	≤ 0.675 &> 0.614	≤ 0.614
70	≤ 1.019 &> 0.926	≤0.926 &> 0.842	≤ 0.842 &> 0.766	≤ 0.766 &> 0.697	≤ 0.697
100	≤1.164 &> 1.058	≤1.058 &> 0.962	≤ 0.962 &> 0.875	≤0.875 &>0.796	≤ 0.796
140	≤1.310 &> 1.191	≤1.191 &> 1.083	≤ 1.083 &> 0.985	≤ 0.985 &> 0.896	≤ 0.896
200	≤1.456 &> 1.323	≤1.323 &> 1.203	≤ 1.203 &> 1.088	≤ 1.088 &> 0.984	≤ 0.984 ;

ख) उप पैरा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उक्त भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के विचार से 1 जनवरी, 2023 से सारणी 3.4 में विनिर्दिष्ट 1 स्टार के लिए 200 लीटर की रेटिड क्षमता वाले भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर पर विवरणों के संप्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।"

[फा. सं. 10/7/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम,2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2902(ई), दिनांक 8 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन एस.ओ. 4208 (ई), दिनांक 11 अक्तबर, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5776(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 2902 (E), dated the 7th September, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 3,-

(a) in sub-paragraph (1), after Table 3.3, the following Table shall be inserted, namely:-

"TABLE 3.4

Star Rating Plan Validity (from 1st January, 2023 to 31st December, 2025)

Rated Capacity	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star			
(Liters)	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)							
6	≤0.426 &> 0.387	≤0.352 &> 0.320	≤ 0.320 &>0.291	≤ 0.291 &> 0.265	≤ 0.265			
10	≤0.485 &> 0.441	≤0.441 &> 0.401	≤ 0.401 &>0.365	≤ 0.365 &> 0.332	≤ 0.332			
15	≤ 0.558 &> 0.507	≤0.507 &> 0.461	≤ 0.461 &> 0.419	≤ 0.419 &> 0.381	≤ 0.381			
25	≤0.680 &> 0.618	≤0.618 &> 0.562	≤ 0.562 &>0.511	≤ 0.511 &> 0.465	≤ 0.465			
35	≤0.777 &> 0.706	≤0.706 &> 0.642	≤ 0.642 &>0.584	≤ 0.584 &> 0.531	≤ 0.531			
50	≤0.898 &> 0.816	≤0.816 &> 0.742	≤ 0.742 &>0.675	≤ 0.675 &> 0.614	≤ 0.614			

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

70	≤ 1.019 &> 0.926	≤0.926 &> 0.842	≤ 0.842 &> 0.766	≤ 0.766 &> 0.697	≤ 0.697
100	≤1.164 &> 1.058	≤1.058 &> 0.962	≤ 0.962 &> 0.875	≤0.875 &>0.796	≤ 0.796
140	≤1.310 &> 1.191	≤1.191 &> 1.083	≤ 1.083 &> 0.985	≤ 0.985 &> 0.896	≤ 0.896
200	≤1.456 &> 1.323	≤1.323 &> 1.203	≤ 1.203 &> 1.088	≤ 1.088 &> 0.984	≤ 0.984 ;

(b) for sub-paragraph (2), the following sub paragraph shall be substituted, namely:-

[F. No. 10/7/2022-EC]

AJAY TEWARI Addl. Secy.

Note: The Energy Conservation Act, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2902(E), dated the 8th September, 2016 and subsequently amended vide notification number S.O.1385 (E) dated the 2nd May, 2017, S.O. 6308(E), dated the 24th December, 2018, S.O. 4486(E), dated the 10th December, 2020 and S.O. 4208 (E) dated 11th October 2021.

[&]quot;(2) The permission for display of particulars on storage type electric water heater up to the rated capacity of 200 litres for 1 Star specified in Table 3.4 shall not be permitted from the 1st day of January, 2023 with a view to upgrade the minimum energy performance level of such storage type electric water heater".

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241054 CG-DL-E-14122022-241054

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642] No. 642]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

सं. बीईई/एस एवम् एल/ वॉटर हीटर/ 3/2022-23.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, प्रारूप अधिसूचना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) विनियम, 2022, अधिसूचना संख्यांक बीइई/एसएण्डएल/वाटर हीटर/3/2015-16 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिससे उनके प्रभावित होने की संभावना थी, उसके प्रकाशन तारीख से तीस दिनों विनिर्दिष्ट अवधि में समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप विनियम की प्रतियां जनता को 27 जून, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उपर्युक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और, इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है;

अत: अब, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ़) और धारा 14 का खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 के उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) विनियम, 2016, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता बनाती है, अर्थात्:-

8286 GI/2022 (1)

- 1. लघु शीर्षक और आरम्भ .- (1) इन विनियमों का संछिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) (संशोधन) विनियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियम, 2022 (जिससे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा जाएगा), "इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर" और "वॉटर हीटर शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी ये प्रयुक्त होते हैं, "स्टोरेज वाले स्टेशनरी इलेक्ट्रिक वाटर हीटर" शब्दों को रखा जाएगा।
- 3. उक्त विनियमों में विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात:-
- "4. लेबल प्रदर्शित करने की समय सीमा -
- (1) स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था में परिवर्तन विनियम 3 में निर्दिष्ट सभी विवरणों वाला एक लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक स्टोरेज वाले स्टेशनरी प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) अनिवार्य ऊर्जा खपत मानकों का पुनरीक्षण अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञाधारी या व्यापारी या विक्रेता, -
- (क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ स्टोरेज वाले स्टेशनरी विधुत् जल हीटर का उत्पादन नहीं करेगा;
- (ख) स्टोरेज वाले स्टेशनरी विधुत् जल हीटर संशोधित ऊर्जा खपत मानक और संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में स्टोरेज वाले स्टेशनरी विधुत् जल हीटर के निर्माण वर्ष के साथ संशोधित स्टार स्तर और लेबल अविध प्रदर्शित करेगा;
- (ग) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए, उनको शिक्षित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक कदम समय रहते उठाए जाने चाहिए।
- 4. उक्त विनियमों के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:
- "6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा (1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्टेशनरी स्टोरेज प्रकार के विधुत् जल हीटर पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।
 - (2) ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को एक लाख रुपए के लेबल प्रतिभूति शुल्क के साथ, अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप I - (क) में विनिर्दिष्ट किया गया है, भुगतान के इलेक्टानिक मोड द्वारा देय है:
 - (3) उपविनियम (2) के अधीन अनुज्ञाधारक के प्रत्येक आवेदन के साथ-
 - (क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क; तथा
 - (ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय एक लाख रुपये का एक लेबल सुरक्षा शुल्क:परन्तु लघु उद्योग के मामले में लेबल सुरक्षा शुल्क पच्चीस हजार रुपए होगा; तथा
 - (ग) प्ररूप I में विनिर्दिष्ट दस्तावेज।
- 5. उक्त विनियमों के विनियम 7 में, -
- (क) उपविनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम को रखा जाएगा, अर्थात् -

- "(1) विनियम के खंड 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो मानक और लेबलिंग पर ऐसी प्राप्ति की तारीख से ब्यूरो मानक और लेबलिंग के मैनुअल में विनिर्दिष्ट अविध के अंदर, विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञा प्रदान करता है,-
 - (क) प्ररूप II-(क) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड रजिस्ट्रीकृत करना; या
 - (ख) प्ररूप II में इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोरेज वाले स्टेशनरी इलेक्ट्रिक वाटर हीटर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा देना।
- (ख) उप विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा।
- "(4) स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन अनुज्ञाधारी द्वारा इसकी समाप्ति से एक माह पहले नहीं किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपए का शुल्क देय होगा।

परन्तु स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपये के उक्त नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।"

- 6. उक्त विनियमों में, -
 - (क) प्ररूप I में, शब्द और अक्षर, "डीडी नंबर द्वारा", दोनों स्थानों पर, शब्द "इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा" रखा जाएगा।
 - (ख) प्ररूप I के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप और उपाबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप I-(क)

(विनियमन 6(2) देखें)

(कंपनी के लेटर हेड में मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियमन 2022 के अधीन स्टेशनरी भंडारण प्रकार विधुत् जल हीटर ब्रैंड के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110 066 भारत.

मैं/हम स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत वॉटर हीटर का विनिर्माता /के विनिर्माता,......(पूरा व्यावसायिक पता) मेंशीर्षक से संचालित व्यवसाय (व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम) के लिये ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि) विनियमन 2022, के अनुसार स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लेबल लगाने की अनुमित के लिये आवेदन करना चाहता हूं /हैं।

उपकरण, कंपनी, विनिर्माण केंद्र और भुगतान के बारे में जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। कंपनी रिजस्ट्रार या सोसायटी या उद्योग निदेशक (लघु इकाईयों के संदर्भ में) द्वारा जारी प्रमाणपत्र की फोटो प्रति या कंपनी और इसके विनिर्माण परिसरों की पृष्टि करने वाले समान अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्तिः(नाम और पद), कंपनी/फर्म की ओर से या अन्य प्राधिकरणों की ओर से आवेदन करने के लिये अधिकृत है और वह आवेदन के साथ दी गयी जानकारी की सत्यता के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(ख)	संपर्क व्यक्तिः(ना	म और पद) इस	त आवेदन	और लेबल के	उपयोग के	संदर्भ में ब्यूरो के सा	थ
	समन्वय के लिये संपर्क व्यक्ति बनने के ि	नेये अधिकृत है।					

- (ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकृत व्यक्तियों के संदर्भ में किसी बदलाव के बारे में ब्यूरो को जानकारी देने की जिम्मेदारी लेते हैं।
- 3. उक्त उपकरण के विनिर्माण और बिक्री तथा मूल्य संबंधी आंकड़ें मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के आधार पर इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये)
पिछले वर्षसेतक			
वर्तमान वर्षसेतक (अनुमान)			

- 4. एक लाख रुपये या 25 हजार रुपये, जैसी भी स्थिति हो, का लेबल सुरक्षा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान कर दिया गया है (लेबल सुरक्षा शुल्क जमा करते समय ही भरा जाना है).
- 5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल शुल्क के भुगतान के लिये सहमत हैं।
- 6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तें मानने के लिये और ब्यूरो को उसके द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने के लिये सहमत हैं।
- 7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को पुष्टि और चुनौती परीक्षण के उद्देश्य से नमूनों के चयन के लिये अधिकृत करते हैं और इस बारे में ब्यूरो के निर्देशों के पालन के लिये सहमत हैं।
- 8. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दिया गया विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, और यदि कोई भी जानकारी गलत पायी जाये तो आवेदन रद्द कर दिया जाये।

ताराख	 (वष)

हस्ताक्षर
नाम
पद
कृते एवं ओर से
(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

उपाबंध प्ररूप 1-(क) का पैरा 2 देखें

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिनकोड	
राज्य फोन नंबर	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
फैक्स नंबर ई-मेल वेबसाईट	
वेबसाईट	

2.

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण में प्ररूप				
(क)विनिर्माण या व्यवसाय परिसरों के नाम और पते की	पुष्टि			
में दस्तावेज	9			
(ख) ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र				
(ग)लघु उद्योग प्रमाणपत्र,यदि व्यवहार्य हो	हां/नहीं			
ग)गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र				
(घ)अधिकृत अधोहस्ताक्षरी पत्र				
(डं.) भारतीय मानक ब्यूरो लाईसेंस, यदि व्यवहार्य हो				
(च) ऑनलाईन किये गये भुगतान के लिये भुगतान ! पावती	प्राप्ति			
विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक निर्माण इक	गई के	लिये अलग सारणी दी जा सकती है)		
विनिर्माण इकाई का नाम				
पता				
पिन कोड				
राज्य/देश				
फोन नंबर				
फैक्स नंबर				
ई -मेल				
वेबसाईट				
कोई अन्य जानकारी (यदि हो)				
		हस्ताक्षर		
		नाम		
		पद		
		कृते एवं ओर से		
		(फर्म का नाम) फर्म की मुहर"		
(घ) प्ररूप II के बाद निम्नलिखित प्ररूप और उपाबंध	ा जोड़	। जाएगा, अर्थात्		
		•		
"х	रूप ॥	- (क)		
(विनियमन 7(1)(क) देखें)				
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल	त्र हीट	र पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियमन		
2022 के अधीन स्टेशनरी भंडारण प्रकार वि	बेधुत् ज	ाल हीटर ब्रैंड के रजिस्ट्रीकरण के लिये अनुमति		
		नयी दिल्ली, तारीख		
सेवा में				

- 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी भंडारण प्रकार के विधुत् जल हीटर पर प्रदर्शन के विवरण और विधि), (संशोधन), विनियमन 2022 के प्रावधानों के अनुसार ब्यूरो आपको अपना ब्रैंड इस पत्र के उपाबंध में निर्धारित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कराने की अनुमित देता है।
- 2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है:-
 - (क) लेबल पर लगाया गया स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित स्टेशनरी स्टोरेज टाईप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के ऊर्जा उपभोग मानकों और विनियमन के नियमों और शर्तों के अनुरूप होना चाहिये;
 - (ख) लेबल की मुहर केवल ऐसे स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लगायी जाये जिसके लिये अनुमित दी गयी है:
 - (ग) स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लेबल की छपाई और लगाये जाने का खर्च अनुमित प्राप्त कर्ता द्वारा वहन किया जायेगा;
 - (घ) अनुमति प्राप्त कर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर लगाया गया स्टार लेबल हर समय बना रहे;
 - (ङ) अनुमति प्राप्तकर्ता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क करे;
 - (च) अनुमित प्राप्तकर्ता ब्यूरो के पास एक बयान जमा करेगा जिसमें लेबलयुक्त उपकरण के विनिर्माण और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के बाद वाले महीने में प्रत्येक तिमाही के प्रोद्भूत लेबल शुल्क का ब्योरा होगा। यह समान जानकारी एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी ब्युरो में जमा करायी जायेगी:
 - (छ) अनुमति प्राप्तकर्ता अनुमति मंजूर करने वाले ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर के अन्य विवरण भी उपलब्ध करायेंगे;
- 3. अनुमित प्राप्तकर्ता ब्यूरो की पूर्व अनुमित के सिवाय सत्यापन अविध के दौरान रिजस्ट्रीकृत ब्रैंड और स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर बाजार से नहीं हटाय़ेंगे।
- 4. ब्रैंड के लिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदत्त विशिष्ट लेबल श्रृंखलाहै और इसे अनुमोदित डिजाईन के अनुसार लेबल पर दर्शाया जाना चाहिये।
- 5. वर्ष.....के...... माह कीतारीख पर हस्ताक्षरित और मृहरबंद।

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

(प्ररूप II- (क) का पैरा 1 देखें)

अनुमति विवरण

1 कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	

7

फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाईट	

- 2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम
- 3. विशिष्ट श्रृंखला संहिता
- 4. अन्य विवरण, यदि व्यवहार्य हों

भवदीय,

तारीख:

(सचिव)


ऊर्जा दक्षता ब्यूरो"

(ङ) प्ररूप III में, स्तम्भ (9), (11), और (14) में आने वाले शब्दों और कोष्ठकों "(क्रॉस किए गए डिमांड ड्राफ्ट) (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण: तारीख) के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा" शब्दों को रखा जाएगा। 7. उक्त विनियमों में, मद संख्या 3 में, प्ररूप II के अनुलग्नक के स्थान पर, निम्नलिखित नमूना लेबल और त्वरित प्रतिक्रिया कोड को रखा जाएगा, अर्थात्-




स्टेशनरी भंडारण प्रकार विद्युत जल हीटर पर चिपकाए जाने वाले लेबल पर पत्र में दिए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख किया जाए। " 8. उक्त विनियमों के, अनुसूची में, "विद्युत जल हीटर के लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण" शीर्षक के अधीन, अंक, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "(1) नमूना लेबल, (i) आयाम और (iii)) रंग योजना" के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् -


"(i) नमूना लेबल (नमूना लेबल का डिजाइन) ;



ii. परिमाप



iii. रंग योजना



अभय बाकरे, महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, [विज्ञापन III/4/असा./461/2022-23]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2022

No.BEE/S&L/WaterHeater/3/2022-23.- Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage type Electric Water Heater) Regulations, 2022, were published vide notification number BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, copies of the said draft regulations were made available to the public on 27th June, 2022;

And whereas, suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid:

And whereas, the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage type Electric Water Heater) Regulations, 2016, namely:-

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater), (Amendment) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage type Electric Water Heater), (Amendment) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as the said regulations), for the words "Electric Water Heater" and "Water Heater, wherever they occur, the words "Stationary Storage type Electric Water Heater" shall be substituted.
- 3. For regulation 4 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-
- "4. Time limit for display of labels.—
- (1) **Transition from Voluntary to Mandatory regime.-** A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every stationary storage type electric water heater within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- (2) **Revision of Mandatory Energy Consumption Standards.-** On and from the commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller,
 - (a) shall not produce the stationary storage type electric water heater with the previous energy consumption standards;
 - (b) the stationary storage type electric water heater shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the stationary storage type electric water heater in synchronization with revised energy consumption standards;
- (c) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance."
- 4. For regulation 6 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:
- **"6. Permission for display of label**. (1) No star label shall be affixed on a Stationary Storage type Electric Water Heater without obtaining the prior permission of the Bureau.
 - (2) For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment.
 - (3) Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
 - (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode and
 - (b) a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode:
 - Provided that in case of small scale industry label security fee shall be twenty -five thousand rupees; and
 - (c) documents specified in Form I.
- 5. In regulation 7 of the said regulations,-
- (a) For sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- "(1) On receipt of an application under clause no. 6 of the regulation and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8,
 - (a) grant permission to register the brand in Form II-(A) or in electronic form; and

- (b) grant permission for affixing label on stationary storage type electric water heater in Form II or in electronic form."
- (b) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- "(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted."

- 6. In the said regulations,-
 - (a) In Form I, for the word and letter, "by DD NO", occurring at both the places, the words "by Electronic mode" shall be substituted.
 - (b) after Form I, the following Form and annexure shall be inserted, namely:--

"FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of Stationary Storage Type Electric Water Heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Stationary Storage Type Electric Water Heater heater) Regulations, 2022

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

- (b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above
- 3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Producti o n	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from		
to		
Currentyear from		
to (estimate)		

- 4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
- 5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
- 6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of (Year)	
	Signature
	Name
	Designation
of	For and on behalf
	(Name of the firm) SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I - (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	Yes/No
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

ारत का राजपत्र . असावारण	
separate table may be provided in case of more	than one manufacturing
Name Designat	ion
(Name of	the firm) Seal of the
exure shall be inserted, namely:-	
" FORM II – (A)	
	Signature Name Por and of

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of Stationary Storage Type Electric Water Heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Stationary Storage Type Electric Water Heater heater) Regulations, 2022

	New Delhi, dated
To	

- 1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
- 2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Stationary Storage Type Electric Water Heater shall conform to energy consumption standards for Stationary Storage Type Electric Water Heater notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model Stationary Storage Type Electric Water Heater for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the Stationary Storage Type Electric Water Heater at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the Stationary Storage Type Electric Water Heater shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;

- (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
- (g) the permittee making available such other details of Stationary Storage type Electric Water Heater as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
- 3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Stationary Storage type Electric Water Heater from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
- 4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is............... and should appear on the label as per the approved design.
- 5. Signed, sealed and dated this...... day ofmonth, year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1. Details of the company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

- 2. Name of the brand registered:
- 3. Unique series code:
- 4. Other details if applicable:

Date:	Yours
faithfully.	

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency "

- (d) in Form III, for the words and brackets, "by (crossed Demand Draft) (Details)/ Electronic Transaction (Details: Date:)", occurring in Column (9),(11), and (14), the words "by Electronic mode" shall be substituted.
- 7. In the said regulations, in item number 3, for Annexure to Form II, the following sample label and Quick Response Code shall be substituted, namely:-


..







The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Stationary Storage type Electric Water Heater."

- 8. In the said regulations, in Schedule, under the heading, "Particulars to be displayed on labels of electric water heater", for the figure, letters and words, "(1) Sample Label, (i) Dimension and (iii) Color scheme" the following shall be substituted, namely:-
 - "(i) Sample Label (Design of the sample label);







ABHAY BAKRE Director General, Bureau of Energy Efficiency [ADVT.-III/4/Exty./461/2022-23]